

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी सी एम एस. प्रकरण संख्या : 2026 / 53

सिविल प्रकरण संख्या:- 26 / 2026

तारीख रजू 15.04.2026

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

- दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री राजमल जैन (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स :- दिनेश कुमार जैन, आदर्श नगर ए, दौसा रोड, सवाई माधोपुर निवासी:- आदर्श नगर ए, दौसा रोड, सवाई माधोपुर 322001।

..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 28 की उप धारा 2 (ii), (2)(iv) / 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 27.05.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 07.11.2025 को 12.15 पी.एम. पर मैसर्स दिनेश कुमार जैन आदर्श नगर ए, दौसा रोड, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम दिनेश कुमार जैन पुत्र राजमल जैन होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाया जो वर्ष 2030 तक के लिए मान्य था। आवेदक द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** आमजन को विक्रय हेतु निकाला जा रहा है। उक्त **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1600 ग्राम खरीदकर उसकी कीमत 260/- रुपये दिनेश कुमार जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान राजेश प्रजापत एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे दिनेश कुमार


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति विक्रेता दिनेश कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 1600 ग्राम **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** को हिला-मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-3929** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-3929** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर छः की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर् में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/1947 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4827/एक्ट/2025/4963 दिनांक 25.11.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)**, **Contravences Regulation** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2026/227 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Contravenes Regulation, Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित आए। अभियुक्त ने प्रकरण में जवाब पेश किया एवं प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Contravenes Regulation, Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ तेल का जांच हेतु नमूना लिया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। प्रार्थी खाद्य पदार्थ बाजार से खरीदता है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/4827/एक्ट/2025/4963 दिनांक 25.11.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose), Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because It sold in loose condition** प्रकृति का होना पाया गया है। यद्यपि, उक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि जांच के नमूने में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी किन्तु जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** को खुले रूप में बेचने के कारण **Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 के Regulation No. 2.3.15(1)(b)** का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित उक्त कृत्य घोर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है किन्तु अभियुक्त द्वारा कच्ची घाणी सरसो तेल खुले रूप में विक्रय कर **Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 के Regulation No. 2.3.15(1)(b)** का उल्लंघन किया है जिसके कारण अभियुक्त पर लघु शास्ति अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को **Contravenes Regulation** प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Kacchi Ghani Mustard Oil (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 5,000/-रु० (अक्षरे पांच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर